प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 138/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)

रमेश चन्द्र मीणा निवासीः मोथली, तहसील–खेरवाड़ा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19/12/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/138/23/1518–19 दिनांक 30.11.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/138/2023/1275 दिनांक 05.12.2023 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खैरवाड़ा से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1203–05 दिनांक 27.10.2023 द्वारा अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी पूर्व में सूचित कर दिया गया था। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावे।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 09.10.2023 को प्रेषित किया गया था, उक्त आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 1275 दिनांक 05.12.2023 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खैरवाड़ा से होने से प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्रांक 1203–05 दिनांक 27.10.2023 द्वारा अंतरित कर दिया गया जिसकी सूचना से अपीलार्थी को भी अवगत करवा दिया गया था।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, उदयपुर से नहीं होकर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खैरवाड़ा से होने से प्रत्यर्थी (लोक सूचना अधिकारी) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्रांक 1203–05 दिनांक 27.10.2023 द्वारा अंतरित किया गया।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए की वह अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खैरवाड़ा के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करे एवं सूचना नहीं मिलने के स्थिति में सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर